राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण सिंह (RTS)
मिसल नम्बर :– 97 / 2019

सरकार

बनाम

सरदार सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत निवासी अशोक नगर तन् त्यौन्दा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

.....................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– 27–09–2019

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर कोई हाजिर नहीं आया। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का त्यौन्दा के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम अशोक नगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 0.22 हेक्टेयर किस्म बंजड़–2 के रकबा 0.05 हेक्टेयर पर गैर सायल सरदार सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत निवासी अशोक नगर तन् त्यौन्दा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने चार दिवारी लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस गैर सायल स्वयं से बाद तामिल प्राप्त हुआ। इसके बावजूद भी गैर सायल अनुपस्थित रहा है। अतः गैर सायल के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात्, पटवारी हल्का त्यौन्दा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल सरदार सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत निवासी अशोक नगर तन् त्यौन्दा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने **राजस्व ग्राम अशोक नगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 0.22 हेक्टेयर किस्म बंजड़–2 के रकबा 0.05 हेक्टेयर पर पर चार दिवारी लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अतः पटवारी हल्का त्यौन्दा की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज.)
Scanned by CamScanner

मिसल नम्बर 97 / 2019
निर्णय दिनांक 27–09–2019

–: आदेश :–

अतः प्रकरण में गैर सायल की अनुपस्थिति में गैर सायल के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का त्यौन्दा के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम अशोक नगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 0.22 हेक्टेयर किस्म बंजड़–2 के रकबा 0.05 हेक्टेयर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 0.25 रूपये का 50 गुणा = 13/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का त्यौन्दा से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की **राजस्व ग्राम अशोक नगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 0.22 हेक्टेयर किस्म बंजड़–2 के रकबा 0.05 हेक्टेयर भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27–09–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.)
सत्यमेव जयते

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner